न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ (झुन्झुनू)

पीठासीन अधिकारी :: मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या 08/2019

हरलाल पुत्र हीरालाल जांगिड पुत्र औंकारमल जांगिड जाति जांगिड निवासी हनुमानजी की ढाणी तन बुगाला तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू

–प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अं.धारा 136 भूराजस्व अधिनियम 1956

वकील प्रार्थी –श्री सुरेन्द्रसिंह भर्रा
वकील अप्रार्थी –राज पैरोकार ना0 तहसीलदार

आदेश

निर्णय तिथि 11.09.2019

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी के ग्राम हनुमानजी की ढाणी तन बुगाला तहसील नवलगढ का रहने वाला है। प्रार्थी की ग्राम हनुमानजी की ढाणी तन बुगाला में काश्त की भूमि ख.न. 125/0.81, 1638/131/0.88 किता 2 कुल रकबा 1.69 है0 अवस्थित में 1/7 हिस्सा है जिसमें प्रार्थी का नाम हरलाल पुत्र औंकार जाति जांगिड दर्ज है। प्रार्थी का अन्य दस्तावेज आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशनकार्ड, प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत सरपंच बुगाला में हीरालाल जांगिड पुत्र औंकारमल जांगिड जाति जांगिड नाम जर्द है। हरलाल व हीरालाल जांगिड दोनो नाम का एक ही व्यक्ति है।

प्रार्थी का ग्राम हनुमानजी की ढाणी तन बुगाला में अवस्थित काश्त की भूमि ख.नं. 125/0.81, 1638/131/0.88 कुल किता 2 कुल रकबा 1.69है0 में जमाबंदी संवत 2075 से 2078 में काश्तकार का नाम हरलाल पुत्र औंकार जाति जांगिड लिपिकीय त्रुटि से गलत दर्ज हुआ है। जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम हीरालाल जांगिड पुत्र औंकारमल जांगिड है। ऐसी लिपिकीय त्रुटि को सुधारा जाना न्यायहित में न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र अं.धारा 136 भू.राज. अधि0 1956 का स्वीकार कर प्रार्थी का नाम ग्राम हनुमानजी की ढाणी तन बुगाला अवस्थित काश्त की भूमि ख.न. 125/0.81, 1638/131/0.88 है0 किता 2 कुल रकबा 1.69 है0 में जमाबंदी संवत 2075 से 2078 में हरलाल पुत्र औंकार हिस्सा 1/7 जाति जांगिड के स्थान पर हीरालाल जांगिड पुत्र औंकारमल जांगिड हिस्सा 1/7 दर्ज किया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर तलबी अप्रार्थी की गई। अप्रार्थी राज पैरोकार द्वारा जबाब प्रार्थनापत्र जरिये पत्रांक भू.अ./19/1809 दिनांक 26.08.19 द्वारा पेश कर हीरालाल पुत्र औंकारमल कर दिया जाता है तो भूमिधारी को कोई एतराज नही होना अंकित किया गया। अतः बहस वकील प्रार्थी प्रार्थना पत्र सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड में छाया प्रति परिवार राशन कार्ड,भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड, आदि दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम हीरालाल पुत्र औंकार जांगिड दर्ज किया जाना साबित है। जमाबंदी ग्राम हनुमानजी की ढाणी संवत 2075–78 के अनुसार ख.न. 125/0.81, 1638/131/0.88 किता 2 कुल रकबा 1.69है0 में कम संख्या 7 पर हरलाल पुत्र औंकार हिस्सा 1/7 जाति जांगिड सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

है। राज पैरोकार तहसीलदार द्वारा प्रार्थना पत्र के अनुसार संशोधन करने में कोई एतराज नही होना जाहिर किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम हनुमानजी की ढाणी की भूमि ख.न. 125/0.81, 1638/131/0.88 किता 2 कुल रकबा 1.69है0 में हरलाल पुत्र औंकारमल जांगिड हि0 1/7 के स्थान पर हीरालाल जांगिड पुत्र औंकारमल जांगिड का संशोधन किया जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 11.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुरारी लाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
नवलगढ

Scanned by CamScanner